


03.06.22

पञ्जावली पेश हुई। आधीवक्ता (उभय पक्ष उपस्थित)
बहस सुनी गयी। प्रा० पत्र अधीन धारा २१२
R.T. Act अस्वीकार (स्वार्थ) ठिमा गया।
निर्णय पृथक् से लिखवाया गया। पञ्जावली केवल
सुमार हीकर नम्बर से कम हों। शामिल
आभिलेखागार। ही. 

उपखण्डाधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज०